

16/12/25

पत्रावली पेश हुई, वकील उषयपदा उपस्थित
वकील अप्रार्थी ने बताया कि मूल वाद दिनांक
29/9/25 को फैसला ले चुका है। न्यूजि प्रकरण
यु - मूल वाद फैसला ले चुका है। प्राथम
पत्र पर कोई वाद नहीं की जा सकता।
अतः प्राथम पत्र खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसला सुनाने के लिए पत्र

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

